



**THE
JHARKHAND GAZETTE
EXTRAORDINARY
PUBLISHED BY AUTHORITY**

No. 744

13 Aashwin, 1938 (S)

Ranchi, Thursday, 5th October, 2017

COMMERCIAL TAXES DEPARTMENT

NOTIFICATION
4th October, 2017

S.O. No. 87- Dated- 5th October, 2017-- In exercise of the powers conferred by section 168 of the Jharkhand Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017) read with sub-rule (5) of rule 61 of the Jharkhand Goods and Services Tax Rules, 2017 and S.O. 61 dated 18 August, 2017 published in the Jharkhand Gazette, the Commissioner, on the recommendations of the Council, hereby specifies that the return for the month as specified in column (2) of the Table below shall be furnished in FORM GSTR-3B electronically through the common portal on or before the last dates as specified in the corresponding entry in column (3) of the said Table, namely:-

Table

Sl. No.	Month	Last Date for filing of return in FORM GSTR-3B
(1)	(2)	(3)
1.	August, 2017	20 th September, 2017
2.	September, 2017	20 th October, 2017.

3.	October, 2017	20 th November, 2017
4.	November, 2017	20 th December, 2017.
5.	December, 2017	20 th January, 2018

2. **Payment of taxes for discharge of tax liability as per FORM GSTR-3B:** Every registered person furnishing the return in FORM GSTR-3B shall, subject to the provisions of section 49 of the said Act, discharge his liability towards tax, interest, penalty, fees or any other amount payable under the said Act by debiting the electronic cash ledger or electronic credit ledger, as the case may be, not later than the last date, as detailed in column (3) of the said Table, on which he is required to furnish the said return.

3. This notification shall be deemed to be effective from 15th September, 2017.

[File.No Va Kar / GST / 07/ 2017]
By the order of the Governor of Jharkhand

K. K. Khandelwal,
Principal Secretary-cum Commissioner

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना

4 अक्टूबर, 2017

एस० ओ० 87 - दिनांक - 5 अक्टूबर, 2017-- आयुक्त, झारखंड माल और सेवा कर नियमावली, 2017 के नियम 61 के उपनियम (5) और झारखंड के राजपत्र में एस० ओ० 61 तारीख 18 अगस्त, 2017 द्वारा प्रकाशित की गई, के साथ पठित झारखंड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 168 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए परिषद् की सिफारिशों पर विनिर्दिष्ट करता है कि नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (2) में यथाविनिर्दिष्ट मास के लिए विवरणी सामान्य पोर्टल के माध्यम से इलैक्ट्रॉनिक रूप में प्रारूप जीएसटीआर- 3ख में उक्त सारणी के स्तंभ (3) में तत्स्थानी प्रविष्टि में यथाविनिर्दिष्ट अंतिम तारीख को या उससे पूर्व प्रस्तुत की जाएगी, अर्थात् :-

सारणी

क्रम संख्या	मास	प्रारूप जीएसटीआर-3,ख में विवरणी फाइल करने के लिए अंतिम तारीख
1	अगस्त, 2017	20 सितंबर, 2017
2	सितंबर, 2017	20 अक्टूबर, 2017
3	अक्टूबर, 2017	20 नवंबर, 2017
4	नवंबर, 2017	20 दिसंबर, 2017
5	दिसंबर, 2017	20 जनवरी, 2017

2. प्रारूप जीएसटीआर- 3 ख के अनुसार कर दायित्व का निर्वहन करने के लिए करों का संदाय- प्रारूप जीएसटीआर - 3ख में विवरणी प्रस्तुत करने वाला प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति उक्त अधिनियम की धारा 49 के उपलब्धों के अधीन रहते हुए कर, ब्याज, शक्ति, फीस या उक्त अधिनियम के अधिन संदेय किसी अन्य रकम के लिए अपने दायित्व का निर्वहन उक्त सारणी के स्तंभ (3) में यथा दी गई अंतिम

तारीख जिस तक उससे उक्त विवरणी प्रस्तुत करने की अपेक्षा है, से पूर्व यथास्थिति इलैक्ट्रानिक रोकड़ बही या इलैक्ट्रानिक प्रत्यय बही के नामे खाते डालकर करेगा ।

3. यह अधिसूचना दिनांक 15 सितम्बर, 2017 से प्रवित्त होगी।

सं.सं. वांकर/जी०एस०टी०/04/2017

झारखंड राज्यपाल के आदेश से

के० के० खण्डेलवाल,

प्रधान सचिव-सह-आयुक्त ।
